

वकील जयशंकर उपाय
बहल दिनांक 6/7/11 को पेश हों।
Piy

12/6 पत्रावली आम सभा लोड अज्ञात
आदिनांक 2011 में पेश हुई। पत्रावली उपाय
है। वकील जयशंकर उपाय दिनांक 6/7/11
को पेश हों।
Piy

वि. निरंजन


वि. राममदन


वि. रामप्रसाद

वि. सोमेश्वरी


वकील फरीकन उपाय/300 साहब अवकाश/दोसरे पर
पधारें हैं। पूर्वानुसार दिनांक... 5/10/11... को पेश हों।
Piy

17/10 वकील जयशंकर उपाय बहल दिनांक 26/11/11
पत्रावली चाले सिविल दिनांक 26/11/11
को पेश हों।
Piy

6/10 वकील जयशंकर उपाय बहल जयशंकर
के अखिरा पर मनन किया गया तथा
पत्रावली का रूखलोकन किया गया। पत्रावली
में संलग्न जयशंकर संपत् 2067-70 के
अनुसार जयशंकर तहसील सपोरम के
लिखित विवाहित आशुनीश्वरी की भूमि वाली
पत्रावली जयशंकर की संभूत जयशंकर की भूमि

हैं जिले में वाहीगण का हिस्सा 1/4 तथा ग्रह 0
 सं. 1 अर्थात् 3 का 3/4 हिस्सा खर्ज है शक
 कायद कारी कानून के अनुसार बिना खर्च
 करके संभूत खारेखारी की भूमि के पुन्ये
 डेच पर सभस्त सहखारेखारेण का उनके हिस्से
 अनुसार कयकर का हिस्सा खेत है अर्थात्
 बराबर का अधिकार होता है तथा बिना
 खर्च कराये कोई भी सहखारेखा संभूत
 खारेखारी की भूमि पर किसी प्रकार का
 निर्माण कार्य नहीं कर सकता है तथा न
 ही भूमि को खुदे-खुदे कर सकता है ^{उपरोक्त} कृषि
 भूमि पर निर्माण कोई भी प्रकार का
 साइमन डाखिकारी की स्वीकृति के बिना
 नहीं किया जा सकता है। अतः प्राथमिक
 का प्राथमिक कायद अथवा अथवा निषेधाज्ञा
 अंशिक रूप से दखीका किताजाफत
 उमय पदाधारण का जरिये अथवा निषेधाज्ञा
 पाकेद किया जाता है कि उमय पदाधारण
 ग्राम नारेली वरुम सपोशा की आशुनी रकथ
 नं. 382, 616, 667, 668, 751, 753 कुल
 खिा 6 का कुल रकका 4 कीया 12 दिखी
 पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं कर
 सकता है, ना ही किसी भी प्रकार
 खारेखारी के लिये अनुमति देकर
 प्राथमिक दवा रहे तथा नम्बर से कहें।

Riy

उमय पदाधारण
 नारेली वरुम
 सपोशा की आशुनी
 रकथ नं. 382, 616, 667, 668, 751, 753